

27/6/22

वकील प्रार्थी उप०।

पत्रावली वास्ते संशोधित वार्षिक दिनांक 8/7/22 को पेश हो।

8/7/22

वकील प्रार्थी उप०।

वकील प्रार्थी ने संशोधित वार्षिक पेश किया
पत्रावली वास्ते इस दिनांक 29/8/22 को पेश हो।

8/7/22

वकील प्रार्थी उप०।

मूल वाद में निर्णय हो चुका है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं
रहता है।

अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली वास्ते ~~कम~~ कम होकर पत्रावली पत्र हो।

सहायक कलेक्टर
डी.डी.वा. (नागौर)

